①

विलेख

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0 क्र0 एक / विविध / छतरपुर / भूरा. / 2018

विविध-2818/2018/छतरपुर/भू.रा

श्री ... द्वारा आज दि. 7/5/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 7-5-18

7/5/18

संतोष तनय प्रेमनारायण
निवासी ग्राम दोनी तहसील व
जिला छतरपुर म0प्र0

--आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर महोदय छतरपुर

--- अनावेदक

**विविध आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत आवेदक के पक्ष में ~~नायब~~ तहसीलदार तहसील व जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.1978 के तारतम्य में रिकांर्ड / खसरा में पृविष्टि कराने की स्वीकृति वाबत।**

माननीय महोदय,

आवेदक का निवेदन निम्न प्रकार है:-

1- यह कि प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक को ग्राम हीरापुर पटवारी हल्का कमांक 83 खसरा नंबर 238 / 1 / 1 में से रकवा 1.000 है0 लगानी 10.00 रूपये मात्र का आवेदक को भूमि स्वामी हक नामांतरण पंजी कमांक 24 में ~~नायब~~ तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश 15.04.1978 से प्रदत्त किये गये थे, लेकिन पटवारी अभिलेख में उपरोक्त भूमि शसकीय दर्ज है जिससे आवेदक द्वारा अपने नाम रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति...
पृष्ठ क्र. 01 से 04
दिनांक 7/5/18

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध-2818/2018/छतरपुर/भू.रा. संतोष विरूद्ध म.प्र.शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19-07-2018 | 1) आवेदक श्री संतोष के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा पूर्व में दिनांक 06-07-2018 को सुना गया ।<br>2) आवेदक के द्वारा ग्राम हीरापुर प.ह.नं. 83 तहसील छतरपुर की नामांतरण की पंजी क्रमांक 24 प्रविष्टि दिनांक 15-04-1978 के कॉलम (7) के आधार पर भूमिस्वामी पट्टा की प्रविष्टि खसरा/कम्प्यूटर में कराने हेतु आवेदन दिया है ।<br>3) आवेदन के साथ राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत पारित आबंटन आदेश व पट्टे की प्रति प्रस्तुत नहीं की है, जिस कारण से धारा 32 के अंतर्गत कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है ।<br>4) अत: आवेदन अग्राह्य किया जाता है । आवेदक अपना आवेदन कलेक्टर जिला छतरपुर को प्रस्तुत करे, जिस पर कलेक्टर जांच उपरांत विधि अनुसार निर्णय ले ।<br><br>सदस्य 19.7.18 | |